

18/08/2025 - पचावकी चेन्न डुई वजुलाप
करिकेन उप. / प्रकरण में
उत्त इजराय इस व्यापार्य
के प्र. सं. 77/2004 निर्णय
दि. 30/04/2012 को श्रीमान्
RAA उदयपुर अपील प्रकरण
संख्या 2/14 अंकरलाल व
अन्य बनाम देकीलाल व
अन्य निर्णय दि. 17/6/25
के अनुसार अपास्त की गई।
तथा पचावकी इस व्यापार्य
इन निर्देशों के साथ प्राप्ता हुई
दि. 18 अपीलीय व्यापार्य द्वारा
सिधे गए विकेचन को दृष्टिगत
रखते हुए पक्षकारों को विधिवत
सुनवाई एवं साक्ष्य संकृत प्रस्तुत
करने का अवसर देकर विधि
के अन्तर्गत में पुनः नये सिरे से
निर्णय पारीत करने निर्देशित करते
हुए पक्षकारों को दि. 18/8/25 का
उपरिच्यत देने हेतु निर्देशित किया है।
अतः इस व्यापार्य के प्र. सं. 77/2004
निर्णय दि. 30/4/12 अपास्त होने से
उत्त इजराय स्वतः निरस्त योग्य
है। पचावकी निरस्त की जाकर
किसी शुमार से नम्बर से कम
की जाने।

